कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव(छ0ग0)

—:: आम—सूचना ::—

क्रमांक/4710/भू—अर्जन/विद्युत पारेषण/2017 राजनांदगांव, दिनांक 23/6/2017

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना **"पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छ0ग0) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलुर, तमिलनाडु) के बीच एचवीडीसी Bipole लिंक संबंधित पारेषण प्रणाली"** के अंतर्गत +/— 800 के.वी.एच.वी.डी.सी. **(Bipole) रायगढ़— पुगलुर संचरण लाईन** का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 52/11(**PGCIL**)/2015—PSP& PA-II दिनांक 24/9/2015 के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 (1) के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त है।

इस संचरण लाईन का पथ (TWR, PKG.-2) छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिला के निम्नलिखित ग्रामों, शहरों और कस्बों के आसपास से गुजरेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम का नाम
राजनांदगांव	छुरिया	पतोरा, महरूम, कलडबरी, कांपा, गुण्डरदेही, गिदर्री, जोंधरा, मोहगांव, पथर्री, साल्हे, मन्होरा, धनगांव, मानिकपुर, चारभांठा
	अम्बागढ़ चौकी	किलारगोंदी, गुण्डरदेही, जोरातराई, ढाडूटोला, तोयागोंदी, खुर्सीपार, चिखली, हांडीटोला, कोडूटोला, मांगाटोला, होडीटोला, एड़मागोंदी, मूल, झिटिया, खड़खड़ी, चिल्हाटी, दक्कोटोला, खुर्सीटिकुल, हेमलकोहड़ा, बोगाटोला.

ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 1148 दिनांक 24/12/2003 द्वारा पावर ग्रिड को संचरण लाईनों के बिछाने, अनुरक्षण इत्यादि के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 भाग 3 में तार अधिनियम को प्रदत्त एवं निहित शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार संचरण लाईनों के निर्माण, संचालन, अनुरक्षण इत्यादि कार्य भारतीय तार अधिनियमय, 1885 भाग 3, विद्युत अधिनियम, 2003, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 तथा विधि सम्मत मानक एवं मापदंडों के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए संशोधित आदेश दिनांक 01/06/2016 के अनुसरण में भूमिस्वामी को टॉवर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 85% क्षतिपूर्ति एवं विद्युत लाईन के नीचे टॉवर के दोनों ओर केबाहरी तारों के बीच की चौड़ाई में स्थित भूमि के क्षेत्रफल

क्रमशः 2 पर...

के बाजार मूल्य का 15% क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। यह स्पष्ट किया जाता है कि लाईन के टॉवरों के निर्माण के लिए पावर ग्रिड द्वारा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है। पावर ग्रिड को पारेषण लाईनों के निर्माण हेतु किसी भी अचल संपत्ति के ऊपर या उससे होकर या उसके पार होकर, या ऐसी संपत्ति में, या उसके ऊपर टॉवर स्थापित किए जाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस हेतु पावर ग्रिड द्वारा अचल संपत्ति के मालिक की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है एवं क्षतिग्रस्त फसलों/वृक्षों इत्यादि का मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित मूल्यांकन के आधार पर भुगतान पावर ग्रिड द्वारा किया जावेगा।

उक्त पारेषण लाईनों के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय तार अधिनियम, 1885 भाग (3) धारा 16 के अंतर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 तथा शासन निर्देश, विधि प्रकिया व प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय महत्व एवं जन उद्देश्य के उपरोक्त कार्य के निर्बाध कार्यान्वयन में जन–सामान्य का सहयोग अपेक्षित है।

कलेक्टर,
जिला–राजनांदगांव(छ0ग0)

पृ0क्रमांक/4710/भू–अर्जन/विद्युत पारेषण/2017 राजनांदगांव, दिनांक 23/6/2017
प्रतिलिपि :–

1– प्रभारी अधिकारी, जिला नाजिर शाखा, जिला कार्यालय राजनांदगांव को कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु अग्रेषित।

2– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगांव/मोहला को सूचनार्थ। कृपया उपरोक्त सार्वजनिक सूचना दो गवाहों के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, संबंधित तहसील कार्यालय, तथा संबंधित ग्राम पंचायत, कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करावें, तथा एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को उपरोक्त आम सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4– आवेदक विभाग श्री पराग चंद्राकर, प्रबंधक, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) दुर्ग टीएलसी कार्यालय, चौकोर पानी टंकी के पास पद्मनाभपुर, दुर्ग 491001को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया उक्त आम सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर, समाचार पत्र की दो–दो प्रतियॉ इस इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर,
जिला–राजनांदगांव(छ0ग0)